कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक–शिविरा–माध्य/मा–स/बाल संरक्षण/2016–19/१९५ दिनांकः 23.05.2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा

विषय :– राजस्थान के समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में प्राप्त बच्चों की शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, जयपुर का पत्रांक : प.9(7) शिक्षा–5/बाल संरक्षण/2015 दिनांक : 29.03.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि सदस्य एवं प्रभारी (पोक्सो व आरटीई), राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर के पत्रानुसार आयोग द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि राज्य के विद्यालयों में प्राप्त होने वाली अधिकांश शिकायतों का निस्तारण ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति के स्तर पर ही किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में आयोग के माननीय सदस्यगणों द्वारा समस्त राजकीय व गैर–राजकीय विद्यालयों में एक शिकायत पेटीका लगाई जाने की आवश्यकता जताई हैं। अतः समस्त राजकीय व गैर–राजकीय विद्यालयों में एक शिकायत पेटिका निम्नानुसार लगाने हेतु आपको निर्देशित किया जाता है :–

बाल शिकायत पेटिका

शिकायत पत्र इस बॉक्स में डाले

(उक्त शिकायत पेटी को पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के समक्ष ही खोला जावेगा)

आपके विद्यालय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत निम्न की से की जा सकती हैं :–

- राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (RSCPCR) 0141–2709319
- चाईल्ड हेल्प लाईन (1098)
- जिला बाल संरक्षण ईकाई (DCPU)
- बाल कल्याण समिति (CWC)
- ब्लॉक/जिला शिक्षा अधिकारी (BEO/DEO)

विद्यालय में उक्त शिकायत पेटिका लगाई जावे जो विद्यार्थियों की पहुँच में हो तथा जिसे पाक्षिक रूप से खोला जाकर प्राप्त शिकायतों का परीक्षण, विश्लेषण एवं नियमानुसार निस्तारण किया जावें। पेटिका के ऊपर सम्पर्क तथा दूरभाष नम्बर अंकित करते हुए यह अंकित किया जावे कि आपकी शिकायत उपर्युक्तानुयार की जा सकती है।

www.rajteachers.com

(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :–शासन सहायक सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

उप निदेशक (माध्यमिक)